

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

Form 16: क्या होता है फॉर्म 16 ? क्यों ITR फाइल करते वक्त पड़ती है इसकी जरूरत ?

Publisher

Published on 02 May 2025



फॉर्म 16 महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है इसलिए वक्त पर इसे एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना न भूलें.

भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों को कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन फॉर्म 16 इस प्रॉसेस को बहुत आसान बना देता है. आपके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किए जाने वाले इस फॉर्म में आपकी सैलरी कितनी है और उस पर कितना टैक्स काटा गया है, इसकी पूरी जानकारी होती है. इससे न केवल रिटर्न फाइल करने में आसानी होती है, बल्कि रिफंड क्लेम करने और टैक्स से जुड़े नियमों का अनुपालन करने में भी मदद मिलती है.

फॉर्म 16 क्या है ?

फॉर्म 16 एम्प्लॉयर की तरफ से जारी किया गया एक सर्टिफिकेट है, जो यह दर्शाता है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में सैलरी से कितनी कमाई की है और उसमें से कितना टैक्स (TDS) काटा गया है. यह साल में एक बार, आमतौर पर मार्च के बाद दिया जाता है.

फॉर्म 16 क्यों जरूरी है ?

१. फॉर्म 16 में आपके टोटल इनकम और सरकार को चुकाए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में यह मददगार साबित होता है क्योंकि यह एक तरह से ऑफिशियल प्रूफ के तौर पर काम करता है.

२. फॉर्म 16 की मदद से आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाता है. फॉर्म 16 दो पार्ट में होता है. पहले पार्ट A में कर्मचारी और एम्प्लॉयर की पूरी जानकारी के साथ तिमाही के आधार पर टैक्स डिडक्शन और डिपॉजिट से संबंधित डिटेल्स होते हैं. पार्ट B में कर्मचारी के वेतन की पूरी जानकारी होती है. इसके अलावा, सेक्शन 80C और 80CD के तहत कटौती की भी जानकारी होती है.

चूंकि सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होती है इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती है. इससे वक्त भी बचता है और गलतियां होने की भी संभावना खत्म हो जाती है.

३. यह टैक्स रिफंड पाने में भी आपकी मदद करता है. अगर आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स काटा गया है, तो आप ITR दाखिल करते समय रिफंड का दावा कर सकते हैं.

४. फॉर्म 16 यह समझने में आसानी होती है कि आप रिफंड के लिए पात्र हैं या नहीं.

लोन या वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है. बैंक और विदेशी दूतावास अक्सर इनकम और टैक्स पेमेंट के प्रूफ के तौर पर फॉर्म 16 मांगते हैं. यह आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को मजबूत बनाता है.

५. इससे क्रॉस वेरिफिकेशन में भी मदद मिलती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 16 में आपके ITR में मौजूद डेटा को एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म 16 में दी गई जानकारी से क्रॉस-चेक करता है. अगर दोनों डेटा मेल खाते हैं, तो बाद में नोटिस आने या दूसरी किसी समस्या की संभावना कम होती है.

फॉर्म 16 महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म है. इसे हमेशा वक्त पर अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट करें और इसकी एक डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें.

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.